छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक –16 / रेरा / 2022 / 1545 — रायपुर, दिनांक 03 / 12 / 2022

//आदेश//

विषय :– एक वर्ष से अधिक समयावधि हेतु पंजीयन विस्तार के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का आदेश क्रमांक–13 / रेरा / 2020 / 734 दिनांक 13.07.2020।

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–6 सहपठित छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम–7 में एक वर्ष की अवधि तक पंजीयन विस्तार किये जाने के संबंध में पंजीयन शुल्क का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान विस्तारण शुल्क के रूप में किया जाना प्रावधानित है। प्राधिकरण द्वारा आबंटितियों के हितों को ध्यान में रखते हुये दो–तिहाई आबंटितियों से सहमति प्राप्त होने पर एक वर्ष से अधिक की अवधि हेतु भी पंजीयन विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। एक वर्ष से अधिक की अवधि हेतु पंजीयन विस्तार किये जाने पर निम्नानुसार पंजीयन विस्तार शुल्क प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है :–

स. क्र.	समयावधि	पंजीयन विस्तार शुल्क
1	एक वर्ष तक की अवधि पंजीयन विस्तार हेतु	पंजीयन शुल्क का 50 प्रतिशत राशि (प्रावधानित)
2	एक वर्ष से अधिक; परन्तु दो वर्ष तक की अवधि हेतु	पंजीयन शुल्क का 75 प्रतिशत राशि
3	दो वर्ष से अधिक की अवधि हेतु	पंजीयन शुल्क के बराबर (प्रतिशत राशि)

नोट – यदि प्रमोटर; द्वारा पंजीयन विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब किया जाता है तो संदर्भित आदेश क्रमांक –13 / रेरा / 2020 / 734 दिनांक 13.07.2020 के अनुसार विलंब शुल्क पृथक से देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

3/12/2022

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर